17.4.18 पत्रावली पेश हुई। वकलाय उपस्थित। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण सं. 1 लगायत 5 व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य राजीनामा हुआ है कि ग्राम कुड़िया तहसील उदयपुरवाटी के वर्तमान भूमि ख.नं. 375 रकबा 0.04 है० भूमि को रास्ते की भूमि घोषित किये जाने पर पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली एवं राजस्व रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकलाय की बहस पर मनन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2068-2071 ग्राम कुड़िया के अनुसार भूमि ख.नं. 375 रकबा 0.04 है० किस्म बारानी 3 की खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 प्रभुसिंह पुत्र महालसिंह के नाम से दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी संख्या 1 प्रभुसिंह ने प्रस्तुत राजीनामा के जरिये उक्त वर्णित भूमि को रास्ते की भूमि घोषित किये जाने पर अपनी सहमति जताई है तथा वादीगण भी इस बाबत सहमत है। अतः प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वादपत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादपत्र प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार स्वीकार किया जाता है। ग्राम कुड़िया की सरहद में स्थित भूमि ख.नं. 375 रकबा 0.04 है. किस्म बारानी 3 के बजाय किस्म गै.मु. रास्ता की जाती है। उक्त वर्णित भूमि को खातेदार राजकीय रास्ता दर्ज करवाना चाहता है तो नियमानुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी के यहां समर्पण की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 17.4.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Scanned by CamScanner